न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट), भदोही–ज्ञानपुर।
फौजदारी परिवाद संख्या–85/2016

रामसूरत——बनाम––ब्रम्हदेव आदि

UPSN010022302016

दिनांकः 28.07.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त बच्चन की ओर से प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 17.07.2026 की प्रति अनुपालन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रशासनिक कार्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की दाण्डिक अपील संख्या 3789/2024 ब्रम्हदेव आदि बनाम उ०प्र०राज्य आदि में पारित आदेश दिनांकित 17.07.2026 की प्रति अनुपालनार्थ दिनांक 24.07.2026 को इस न्यायालय में प्रेषित की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांकित 17.07.2026 से इस मुकदमें की सम्पूर्ण कार्यवाही अपास्त कर दी है।

पत्रावली एवं माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पक्षकारों द्वारा इस प्रकरण में सुलह करके अपना सुलहनामा दिनांक 11.06.2024 को पत्रावली में प्रस्तुत किया था, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुलहनामें को सत्यापित करने हेतु आदेशित किया था। पक्षकारों के मध्य हुये उक्त सुलहनामें के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने क्रिमिनल अपील संख्या 3789/2024 ब्रम्हदेव आदि बनाम उ०प्र०राज्य आदि में पारित आदेश दिनांकित 17.07.2026 के द्वारा परिवाद संख्या 85/20216 रामसूरत बनाम ब्रम्हदेव व अन्य, धारा 323, 504, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता व धारा (3)(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट की सम्पूर्ण कार्यवाही को समाप्त कर दिया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 17.07.2026 के अनुपालन में फौजदारी परिवाद संख्या 85/2016, रामसूरत बनाम ब्रम्हदेव आदि अंतर्गत धारा 323, 504, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता व धारा (3)(1)10 एस०सी० /एस०टी० एक्ट की सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त की जाती है। फौजदारी परिवाद संख्या 85/2016, रामसूरत बनाम ब्रम्हदेव आदि में अभियुक्तगण ब्रम्हदेव, लालमणि, बच्चन, पिन्टू, अंशू, रेशू, गोलू, विद्यासागर, अमित, निवासीगण नेवादा, थाना ज्ञानपुर, जिला भदोही को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 427 भारतीय दण्ड संहिता व धारा (3)(1)10 एस०सी० /एस०टी० एक्ट से उन्मोचित किया जाता हैं। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–28.07.2026

विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by AVANISH KUMAR
Date: 2026.07.28 16:05:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court